आर.ई.ओ.-139

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० /प्रे० 1240 जोधपुर, दिनांक 26/7/07

आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शन हेतु आवेदित खसरा बंटवारे में दूसरे भाई के नाम आने एंव आवेदक के नाम दूसरा खसरा आने पर आवेदक के नाम से आवेदित कनेक्शन दूसरे खसरे में जारी करने हेतु संशोधन बाबत।

*****

समन्वय समिति की 7 व 8 जून 2007 को आयोजित 105 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कृषि नीति–2004 (संशोधित 18.9.04) के बिन्दू संख्या 14 में निहित प्रावधान के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है :–

कृषि कनेकशन हेतु आवेदित खसरा वैधानिक बंटवारे में दूसरे भाई के नाम आने पर आवेदक के नाम दूसरा खसरा आने पर आवेदक के नाम से आवेदित कृषि कनेक्शन दूसरे खसरे में आपसी सहमति होने पर जारी कर दिया जावे। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया कि यदि कृषि कनेक्शन पिता के नाम से आवेदित है, तथा पिता की मृत्यु हो जाने पर सभी वारिसान भूमि का तकासमा करा लेते है और ऐसी स्थिति मे आवेदित खसरा जिस वारिस के नाम आता है, उसे तो कनेक्शन जारी किये जाने का कृषि कनेक्शन नीति–2004 (संशोधित 18.9.04) के बिन्दु संख्या 14 में प्रावधान है ही लेकिन यदि आवेदित खसरे वाले वारिस की सहमति हो तो अन्य वारिस को अपने हिस्से के खसरे/भूमि में कनेक्शन जारी कर दिया जावे।

(ए.एम.लोढा)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एंव आयोजना)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।